

प्रेषक,

श्री अशोक नागुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
मिठा रोड 2 समुदाय, दिल्ली,
प्रांत बिहार नई दिल्ली ।

विषय 17A अनुभाग

मसंख्या: दिनांक: 17 अगस्त, 1995

विषय:- जी०एन०. नेशनल पब्लिक स्कूल गोरखनाथ गोरखपुर को सी०बी०एस०की नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनिर्धारित प्रमाण प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे पत्र कलम का निदेश हुआ है कि जी०एन०. नेशनल पब्लिक स्कूल गोरखनाथ गोरखपुर को सी०बी०एस०की नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आगति नहीं है

- 114 विद्यालय की पंजीकृत सीताद्वी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय को प्रबन्ध संचालित में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न बधाओं के लिए निर्धारित शुरू से अधिक शुरू नहीं किया जायेगा ।
- 141 शिक्षा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/विशेष शिक्षा परिषद से सम्बन्धता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्विफिकेट इन्वैस्टिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उसे परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से सम्बन्धता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्थतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 शैक्षणिक एवं शिक्षणक कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण शैक्षणिक कर्मचारियों को अनुमत्त वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा भर्ती बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनासनीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्त सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

..... 2 /



Principal

G. N. National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur



Manager

G. N. National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur